

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/ई/बी.ई.ओ./पंदो./21/2009-10/1663

भोपाल, दिनांक 28.09.2010

//आदेश//

विभागीय भर्ती तथा पदोन्नति नियम-1982 एवं इस नियम में राजपत्र दिनांक 21.03.2007 द्वारा किये गये संशोधन तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति), नियम, 2002 में निहित प्रावधानों के अर्न्तगत आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में सम्पन्न पुनरीक्षित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 11.05.2010 में समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय को विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी (वेतनमान 6500-200-10500) में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न रूप से पदोन्नत करने की अनुशंसा की गई है :-

2. संचालनालय कि एकल नस्ती पर अंकित शासन के जावक क्रमांक 857, दिनांक 08.09.2010 को दिये प्रशासकीय अनुमोदन के अनुक्रम में पदोन्नत लोक सेवकों को उनके नाम के सम्मुख कालम क्रमांक 08 में अंकित पदांकित विकास खण्ड में पदस्थापना तत्काल प्रभाव से की जाती है :-

सं. क्र.	प्र.अ. पद पर वरिष्ठता दिनांक	जिला का नाम	प्रधानाध्यापक का नाम	यूनिक आई.डी. कोड	वर्तमान पदस्थापना	प्रवर्ग (जाति)	पदांकित विकास खण्ड का नाम	पदांकित विकास खण्ड का डाइस कोड
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/04/81	सीधी	श्री यादवेन्द्र प्रताप सिंह	-	शा.हा.से. लमसरई सीधी	सामान्य	विकास खण्ड देवसर जिला सिंगरौली	235002OBS01
2	01/04/81	भोपाल	श्री नरेन्द्र मोहन शर्मा	-	शा.मा.शा. कुठार ईटखेडी	सामान्य	विकास खण्ड फन्दा जिला भोपाल	233203OBS01
3	01/03/84	कटनी	श्री श्याम किशोर दुबे	-	शा.मा.वि.निटर्रा, रीठी, कटनी	सामान्य	विकास खण्ड बहोरीबंद जिला कटनी	233801OBS01
4	13/06/85	मंदसौर	श्री रमेश चंद्र चौधरी	AQ6325	शा.मा.वि. बरखेडा गंगामा, मंदसौर	सामान्य	विकास खण्ड भानपुरा जिला मंदसौर	231901OBS01
5	14/11/85	ग्वालियर	श्री आर.एस. तरेटिया	AL3375	सहा.परि. समन्वयक वित्त जि.शि.के. ग्वालियर	अजा	विकास खण्ड मुरैना जिला मुरैना	230203OBS01
6	17/03/86	सागर	श्री आर.एल. शुक्ला	AX8789	जनपद शिक्षा केन्द्र सागर	सामान्य	विकास खण्ड सागर जिला सागर	231110OBS01
7	11/09/86	मुरैना	श्री जगराम गुप्ता	-	शा.क.मा.वि. अम्बाह क. 2	सामान्य	विकास खण्ड पोरसा जिला मुरैना	230201OBS01

(Handwritten signature)

8	11/09/86	मुरैना	श्री रमेश चन्द्र शर्मा	-	शा.मा.वि. चैना	सामान्य	विकास खण्ड जौरा जिला मुरैना	230204OBS01
9	20/09/86	उमरिया	श्री विशाली चर्मकार	-	शामावि भुण्डी	अजा	विकास खण्ड अजयगढ़ जिला पन्ना	231001OBS01
10	28/09/86	सिवनी	श्री जे.पी.कोल	-	शामावि झीलपिपरिया	अजजा	विकास खण्ड केवलारी जिला सिवनी	234403OBS01
11	09/11/86	विदिशा	श्री अमर चन्द्र शर्मा	-	शा.मा.वि. स्टेशन क्षत्र	सामान्य	विकास खण्ड बासोदा जिला विदिशा	233101OBS01
12	20/11/86	दतिया	श्री प्रेम सिंह राजपूत	AI4422	शा.उ.मा.वि. उपराय	पिवर्ग	विकास खण्ड सेवदा जिला दतिया	230502OBS01
13	27/12/86	दतिया	श्री शिवशंकर श्रीवास्तव	AI4971	शा.मा.वि.वीकर	सामान्य	विकास खण्ड डबरा जिला ग्वालियर	-
14	21/01/87	जबलपुर	श्री व्ही.पी. चौबे	AB2631	शा.मा.वि. घाटपिपरिया	सामान्य	विकास खण्ड गोटेगांव जिला नरसिंहपुर	234003OBS01
15	24/01/87	सीधी	श्री नवल किशोर द्विवेदी	BC2783	शा.मा.शा. खेरा	सामान्य	विकास खण्ड सीधी जिला सीधी	231706OBS01
16	16/02/87	मुरैना	श्री जे.पी. वर्मा	AR5317	शा.क.मा.वि. विलगांव	पिवर्ग	विकास खण्ड सबलगढ़ जिला मुरैना	230207OBS01
17	11/05/87	जबलपुर	श्रीमती आई. बी. जूडा	AB9972	शा.मा.वि. रामपुर	सामान्य	विकास खण्ड करेली जिला नरसिंहपुर	234004OBS01
18	11/05/87	जबलपुर	श्रीमती पी.दुबे	AB5100	शा.मा.वि. कनिष्ठ बुनियादी	सामान्य	विकास खण्ड बाबई चिचली जिला नरसिंहपुर	234002OBS01
19	08/06/87	इंदौर	श्रीमती विजय लक्ष्मी मोर्य	AM8596	शा.मा.वि.क. 33	सामान्य	विकास खण्ड आलोट जिला सीताम	232001OBS01
20	18/06/87	देवास	श्री गुरमीत सिंह भाटिया	BH4507	शा.मा.वि. देहरी बागली	सामान्य	विकास खण्ड सीतामउ जिला मंदसौर	-
21	30/07/87	भोपाल	श्री जे.एल. गेलड़ा	BP5328	लोक शिक्षण संचालनालय	सामान्य	विकास खण्ड ओबेदुल्लागंज जिला रायसेन	233404OBS01
22	08/08/87	इंदौर	श्री बालचन्द्र भाण्ड	AM7489	शा.मा.वि. पिपल्यारांव	अपिवर्ग	विकास खण्ड बदनावर जिला धार	232501OBS01
23	18/09/87	इंदौर	श्री अशोक रावल	AN2074	शा.मा.वि. कन्या क.2 पागनी नाग	सामान्य	विकास खण्ड महिदपुर जिला उज्जैन	232106OBS01

3/8/87

24	210/87	शिवपुरी	श्री मनीराम गुप्ता	BB4350	शा.मा.वि. ढला	सामान्य	विकास खण्ड खनियाधाना जिला शिवपुरी	230605OBS01
25	20/10/87	ग्वालियर	श्रीमती गुरुशरन कौर अरोरा	AK8179	शा.क.मा.वि. आल्ड ब्रेवरी. शिक्षा नगर ग्वालियर	सामान्य	विकास खण्ड अम्बाह जिला मुरैना	230202OBS01
26	20/10/87	मुरैना	श्री उदयवीर सिंह चौहान	AR2669	शा.मा.वि.पिपरई मुरैना	सामान्य	विकास खण्ड पहाडगढ़ जिला मुरैना	230205OBS01
27	28/11/87	शयोपुर	श्री बलराम शर्मा	BA6836	शा.मा.वि. कनापुर	सामान्य	विकास खण्ड शयोपुर जिला शयोपुर	230109OBS01
28	28/11/87	नीमच	श्री युधिष्ठिर शर्मा	-	शा.मा.वि. कन्या जौरन	सामान्य	विकास खण्ड जावद जिला नीमच	231803OBS01
29	03/02/89	कटनी	श्री खिलान सिंह गौड	-	शा.मा.वि. बाकल,कटनी	अजजा	विकास खण्ड बालाघाट जिला बालाघाट	234501OBS01
30	20/11/90	सीधी	श्री मान सिंह उइके	BC4468	शा. हाई स्कूल सिरही	अजजा	विकास खण्ड रामपुर नैकिन जिला सीधी	231705OBS01
31	27/07/92	इंदौर	श्री सुनील कुमार बड़ोनिया	AM4264	शा.मा.वि.शिप्रा इन्दौर	अजा	विकास खण्ड खातेगांव जिला देवास	232306OBS1
32	09/12/94	उमरिया	श्रीमती पुन्नी बाई प्रजापति	BE6626	शा.पू.मा.वि. लालपुर पिपरिया	अजा	विकास खण्ड निवाड़ी जिला टीकमगढ़	231004OBS01
33	04/02/96	पन्ना	श्री जवाहर सिंह	AS9823	ए.बी. एफ.ओ. शाहनगर पन्ना	अजजा	विकास खण्ड पवई जिला पन्ना	231004OBS01
34	18/03/96	धार	श्री मुकुट सिंह सोलंकी	BN7719	शा.मा.वि. रूपाखेडा	अजजा	विकास खण्ड बड़नगर जिला उज्जैन	232103OBS01
35	19/03/96	रीवा	श्री प्रभुनाथ वर्मा	AX5349	शा.मा.सीतापुर फरहदा	अजजा	विकास खण्ड पोहरी जिला शिवपुरी	230606OBS01
36	24/04/96	सतना	श्री पृथ्वीराम कोल	-	शा.मा.वि. लंटागांव	अजजा	विकास खण्ड दमोह जिला दमोह	231203OBS01
37	20/08/96	जबलपुर	श्री ओमदास कोल	AB5705	शा.मा.शा. उमरियापठरा	अजजा	विकास खण्ड किरनापुर जिला बालाघाट	234502OBS01
38	19/11/96	सीधी	श्री देवशरण सिंह	-	शा.हा.से. चौफाल सीधी	अजजा	विकास खण्ड मझोली जिला सीधी	-


3/8/20

उपरोक्त पदोन्नति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी :-

1. दिनांक 01.10.2008 की स्थिति में सामान्य वर्ग के दिनांक 15.06.86 तक के, अनुसूचित जाति वर्ग के दिनांक 09.12.94 तक के एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के दिनांक 25.11.96 तक के प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय से विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नत हो चुके हैं। अतः छूटे हुये पदोन्नति प्रकरणों की स्थिति जिला शिक्षा अधिकारी/संभागीय संयुक्त संचालक/कार्यालय प्रमुख अपने स्तर से जांच कर पुष्टि कर ले कि उक्त दिनांको में उपरोक्त पदोन्नत प्रधानाध्यापको में से उनसे कनिष्ठ प्रधानाध्यापको जिन्हें पदोन्नति आदेश दिनांक 01.10.2008 से पदोन्नति दे दी गई है तो ऐसी स्थिति में उनसे वरिष्ठ छूटे हुये लोक सेवकों को "काम नहीं दाम नहीं" के सिद्धांत के आधार पर पत्र वरीयता के रूप में देय होगी। विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर इनका नोशनल-पें-फिक्सेशन उक्त दिनांक से मान्य होगा। विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी पद का वास्तविक लाभ इन्हें पद पर कार्यभार ग्रहण दिनांक से ही देय होगा। इसके अतिरिक्त शेष अन्य विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों की वरिष्ठता आदेश दिनांक से मान्य होगी।
2. यदि वरिष्ठता क्रम/वरिष्ठता दिनांक के अतिरिक्त व गलत प्रवर्ग अंकित होने के कारण कोई लोकसेवक पदोन्नत हो गया हो तो उसे कार्यभार ग्रहण न कराते हुये ऐसे प्रकरणों की सेवापुस्तिका एवं सेवा अभिलेख के आधार पर पूर्ण तथ्यात्मक जानकारी से इस कार्यालय को तत्काल अवगत करावें।
3. पदोन्नत लोक सेवक के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित के सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें कि जिस प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय से विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नति हेतु अनुशंसा की गई है वह पदोन्नति के योग्य होना चाहिए तथा जिस प्रवर्ग से पदोन्नति हेतु अनुशंसा की गई है उसी प्रवर्ग का सदस्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उनकी वरिष्ठता तिथि पदोन्नति हेतु अनुशंसित आदेश में अंकित वरिष्ठता दिनांक के अनुरूप ही होना चाहिए।
4. पदोन्नति हेतु अनुशंसित लोक सेवक के सेवा अभिलेख से इस बात की भी पुष्टि कर ली जायें कि वे सभी प्र.अ. मा.वि. पद की राज्य स्तरीय प्र.अ. मा.वि. की वरिष्ठता के आधार पर ही हुई है? अन्य पद की वरिष्ठता से इस पदोन्नति का कोई संबंध नहीं है।
5. पदोन्नति हेतु अनुशंसित लोक सेवक के सेवा अभिलेख से यह भी पुष्टि कर ली जाए कि वह स्कूल शिक्षा विभाग का ही प्रधानाध्यापक है। अन्य विभाग यथा आदिम जाति कल्याण विभाग/तकनीकी शिक्षा विभाग आदि के तो नहीं परंतु यदि स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग के परस्पर हस्तांतरण संस्थाओं के लिए म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-44-27/94/20-2 दिनांक 03.01.06 के अंतर्गत विभाग में मूल वरिष्ठता सहित संविलियन किया गया है और पदोन्नत किया गया है, तो वह पदोन्नति का हकदार होगा तथा उसे कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। आदिवासी विकास विभाग से शिक्षा विभाग में जिन लोक सेवकों का संविलियन किया गया है उनकी वरिष्ठता की पुष्टि उनके सेवा अभिलेख एवं सुसंगत संविलियन आदेशों से कर ली जावें। किसी विंशगति की स्थिति होने पर उससे तत्काल संचालनालय को अवगत करावें।

3/10/20

6. ऐसे लोक सेवको का अन्तर्विभागीय स्थानान्तरण हुआ हो तो उन प्रधानाध्यापको की वरिष्ठता शिक्षा विभाग में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मान्य होगी। यदि किसी पदोन्नत लोक सेवक के संबंध में उपरोक्त शर्त की पूर्ति नहीं होती है तो उसे कार्यभार ग्रहण न कराते हुये उनकी पदोन्नति निरस्त करने संबंधी प्रस्ताव अभिलेखित साक्ष्य सहित संचालनालय को तत्काल भेजा जावे।
7. यह पदोन्नति आदेश पदोन्नति से छूटे हुये लोक सेवको के संबंध में होने के कारण यदि कोई लोक सेवक इस आदेश के जारी होने के पूर्व अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने के कारण सेवानिवृत्त हो गया हो तो उस लोक सेवक को पदभार ग्रहण करने की आवश्यकता न होगी।
8. म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के राजपत्र दिनांक 11 जून 2002 में दिये गये मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 में उल्लेखित आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।



आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 28-09-19

पृष्ठां. क्रमांक/स्था.2/ई/बी.ई.ओ./पदो./21/2009-10/1664

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल।
 2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र पुस्तक भवन अरेरा हिल्स, भोपाल।
 4. समस्त जिला-कलेक्टर मध्यप्रदेश।
 5. समस्त संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग मध्यप्रदेश।
 6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
 7. समस्त जिला कोषालय अधिकारी जिला म.प्र.।
 8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु।



आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश